



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 719

दिनांक :- 10-11-17

--: सूचना :-

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता एवं सत्र 2017-18 में आवेदित पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता-निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- श्री एकलव्य प्रेरणा कॉलेज, सुवासरा, मण्डी, जिला-मंदसौर

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :-

- (1) बी.कॉम.-तृतीय वर्ष (प्लेन) - सम्बद्धता हेतु
(कम्प्यूटर एप्लिकेशन) अति.विषय - सम्बद्धता हेतु
- (2) बी.ए.(भूगोल, समाजशास्त्र, आधार पाठ्यक्रम) एवं अति.विषय(राजनीति विज्ञान)-सम्बद्धता-निरंतरता
- (3) बी.एससी.(भौतिक शास्त्र, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान, आधार पाठ्यक्रम)-सम्बद्धता-निरंतरता
- (4) बी.एससी. (भौतिक, रसायन, वनस्पति, जन्तु विज्ञान, आधार पाठ्यक्रम)-सम्बद्धता-निरंतरता
- (5) बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लिकेशन, बहीखाता, लेखकन, आधार पाठ्यक्रम)-सम्बद्धता-निरंतरता

C समिति के सदस्यों के नाम :-


01. प्रो. आर.के.दण्ड - संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
02. डॉ. उमेश सिंह - निदेशक, SOET, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
03. डॉ. एस.के. भारल - प्राध्यापक, शा.कालिदास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वाञ्छित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र भवन, क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाएं अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयो ग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कचरे का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता/सीट वृद्धि प्रदान की जा सके। विडीयो ग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार


कुलपति

निरंतर...02